

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

श्री अमरेन्द्र शेखर सिंह, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक, सम्प्रति प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघा, पटना को सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता, आई० टी० आई० परीक्षा, 2013 में व्यापक अनियमितता करने तथा कदाचार कराने में बदनीयती से साजिशपूर्ण संलिप्तता संबंधी प्रथम दृष्टया आरोप पाये जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या 149 दिनांक 06.11.2013 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था तथा संकल्प संख्या 4192 दिनांक 13.11.2013 के द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इसमें जांच प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त होने के पश्चात दण्ड प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

१. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 के उप नियम 6 (ग) में निहित प्रावधानों के तहत सम्यक् विचारोपरान्त श्री अमरेन्द्र शेखर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

३. इनके पदस्थापन के संबंध में अलग से कार्रवाई की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अमरेन्द्र शेखर सिंह
सरकार के अवर सचिव 24/12

ज्ञापांक-6/श्रम वि० आ० (01)-64/2014-257 पटना, दिनांक 24.12.14

प्रतिलिपि: प्रभारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी के साथ आगामी बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि 15 अतिरिक्त प्रति विभाग को उपलब्ध करायें।

अमरेन्द्र शेखर सिंह
सरकार के अवर सचिव 24/12

ज्ञापांक-6/श्रम वि० आ० (01)-64/2014-257 पटना, दिनांक 24.12.14

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

अमरेन्द्र शेखर सिंह
सरकार के अवर सचिव 24/12

ज्ञापांक-6/श्रम वि० आ० (01)-64/2014-257 पटना, दिनांक 24.12.14


प्रतिलिपि: श्री अमरेन्द्र शेखर सिंह, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक, सम्प्रति मुख्यालय, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

अमरेन्द्र शेखर सिंह
सरकार के अवर सचिव 24/12

ज्ञापांक-6/श्रम वि० आ० (01)-64/2014-257 पटना, दिनांक 24.12.14

प्रतिलिपि: निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना एवं गया/संबंधित कोषांगार पदाधिकारी, पटना एवं गया/अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं गोपनीय चारित्री कोषांग/लोक सूचना पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग,


बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, सरकार पक्ष/उप श्रमायुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

 24/12

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6/श्रम वि0 आ0 (01)-64/2014-257.....पटना, दिनांक-24.12.14.....


प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन भाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

 24/12

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6/श्रम वि0 आ0 (01)-64/2014-257.....पटना, दिनांक-24.12.14.....

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी-1, सरकार पक्ष, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इनके पदस्थापन की कार्रवाई अपने स्तर से की जाये।

 24/12

सरकार के अवर सचिव